**पटना में दिनांक–20 जुलाई, 2016 बुधवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।**

**निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–**

**गृह विभाग**
(विशेष)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 07 (सात) प्रमंडलीय समादेष्टा (पुलिस अधीक्षक स्तर) को द्वितीय एवं 02 (दो) जिला समादेष्टा (पुलिस उपाधीक्षक स्तर) को प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 2010 का लाभ प्रदान करने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |

**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**
(निबंधन)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | औद्योगिक ऋणों के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पक्ष में Pawn or Pledge or Hypothecation से संबंधित एकरारनामा में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसूची–IA के अनुच्छेद–6(2)(a) के तहत देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिसीमा का निर्धारण के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |

**निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत् E.I.B (Excise Intelligence Bureau) में विशेष कार्य पदाधिकारी के एक अस्थायी पद के सृजन के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |

**निर्वाचन विभाग**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | बिहार निर्वाचन सेवा के उप निर्वाचन पदाधिकारी बैंड वेतन (पी०वी०–3, ₹ 15600–39100 + ग्रेड पे० 6600/–) के पद से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैंड वेतन (पी०वी०–3, ₹ 15600–39100 + ग्रेड पे० 7600/–) के पद पर औपबंधिक प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। | 5. | स्वीकृत। |

**विधि विभाग**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | व्यवहार न्यायालय, सारण (छपरा) में 10 कोर्ट भवन (G+1) के निर्माण के निमित्त पूर्व में 7,43,92,000/– (सात करोड़ तैतालीस लाख बेरानवे हजार) रूपये की प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय, सारण (छपरा) के परिसर में 10 कोर्ट भवन (G+4) के निर्माण के लिए कुल 27,23,00,000/– (सत्ताईस करोड़ तेईस लाख) रूपये की पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। | 6. | स्वीकृत। |

## योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

7. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 पर आधारित बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1999 के नियम 5 के उप नियम (1) में उल्लिखित प्ररूप–1, प्ररूप–2 एवं प्ररूप–3 में, नियम 8 के उप नियम (1) में उल्लिखित प्ररूप–5 एवं प्ररूप–6 में तथा "बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2012" में उल्लिखित "दत्तक बच्चे का जन्म सूचना प्रपत्र" (प्ररूप–1क) में संशोधन की स्वीकृति। — 7. स्वीकृत।

## सामान्य प्रशासन विभाग

8. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत 30 वर्षों की नियमित सेवा के उपरांत तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के संबंध में। — 8. स्वीकृत।

## मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय)

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में उप अभिलेख निदेशक के रिक्त पद पर डॉ० चन्द्रमोहन सिंह को प्रोन्नति दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 9. स्वीकृत।

## गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

10. पुलिस महानिदेशक कार्यालय के लिए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी का 01 (एक) एवं सहायक अभियोजन पदाधिकारी का 02 (दो) पद सहित कुल 03 (तीन) पदों के सृजन के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

## वित्त विभाग

12. वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पद पे बैण्ड–15600–39100/–+ग्रेड पे–6600/–से उपायुक्त लेखा कोटि/समकक्ष पद पे बैण्ड– 15600–39100/–+ग्रेड पे–7600/–में प्रोन्नति देने के संबंध में। — 12. स्वीकृत।

## भवन निर्माण विभाग

13. भवन निर्माण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में गैर योजना मद में अभियंत्रण संवर्ग सहित विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत कुल 77 पदों में कनीय अभियंता (यांत्रिक) के स्वीकृत 33 पदों में से अतिरेक 23 पदों का प्रत्यर्पण। — 13. स्वीकृत।

## भवन निर्माण विभाग

14. संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन कुल 09 (नौ) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–01.07.2016 से 30.06.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। — 14. स्वीकृत।

## आपदा प्रबंधन विभाग

16. नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों के कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता की दर में वृद्धि किये जाने के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

## स्वास्थ्य विभाग

17. डा० संजीव कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अति० प्रा० स्वा० केन्द्र, पिपराबगाही, औरंगाबाद को 5 वर्षों से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव। — 17. स्वीकृत।

## पथ निर्माण विभाग

19. पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), वेतनमान पी०बी०–3 (15600–39100/–) एवं ग्रेड पे 6600/–के पद से अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक), वेतनमान पी०बी०–4 (37400–67000/–) एवं ग्रेड पे 8700/–के पद पर प्रोन्नति के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

## सूचना प्रावैधिकी विभाग

20. दिनांक–01.07.2016 से 31.12.2016 तक बिहार स्टेट बाईड एरिया नेटवर्क (BSWAN) के संचालन से संबंधित अवधि विस्तार के साथ–साथ विस्तारित अवधि में योजनान्तर्गत Operation & Maintenance (O&M) हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹ 3,10,41,467.00 (तीन करोड़ दस लाख इक्तालीस हजार चार सौ सड़सठ) मात्र स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

## श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण)

21. श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा/राज्य व्यवसायिक परीक्षा आयोजन/मूल्यांकन हेतु पारिश्रमिक की दरों में संशोधन के स्वीकृति के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

## श्रम संसाधन विभाग

22. बिहार श्रम आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग नियमावली, 2016 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

## श्रम संसाधन विभाग

(निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23. | एम०जे०सी० संख्या–21/2016 (सी०डब्लु०जे०सी० नं०–16352/2014 एवं एल०पी०ए० सं०–187/2016 से उदभुत) विजय कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–29.06.2016 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री विजय कुमार सिंह तत्कालीन अध्यक्ष राज्य नियोजन समिति बिहार, पटना को रूपये 36,29,788/–(रूपये छतीस लाख उन्नतीस हजार सात सौ अठासी) मात्र के भुगतान के स्वीकृति के संबंध में। | 23. | स्वीकृत। |

## वाणिज्य–कर विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. | बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त श्री शरत चन्द्र को (वेतनमान् रू० 15600–39100 +ग्रेड पे–6600) कोटि से वाणिज्य–कर उपायुक्त (वेतनमान् रू० 15600–39100+ग्रेड पे–7600) कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में। | 24. | स्वीकृत। |

## वाणिज्य–कर विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | बिहार वित्त सेवा के सेवानिवृत्त वाणिज्य–कर उपायुक्त श्री रामजी प्रसाद शर्मा को वाणिज्य–कर उपायुक्त कोटि से (वेतनमान् रू० 15600–39100 +ग्रेड पे०–7600) वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान् रू० 37400–67000 +ग्रेड पे०–8700) कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में। | 25. | स्वीकृत। |

## राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. | नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ अंचल के मौजा–मुरौरा, थाना सं०–107, खाता सं०–416, खेसरा सं०–1644, रकबा–0.60 एकड़ गैर मजरूआ मालिक किस्म परती कदीम भूमि, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 1,95,000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 1,17,00,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 5,85,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात 1,46,25,000/–रू० पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–2,63,25,000/–(दो करोड़ तिरसठ लाख पच्चीस हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। | 26. | स्वीकृत। |

## योजना एवं विकास विभाग

27. "मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के End to end Computerisation के लिए MIS Software का निर्माण, अधिष्ठापन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु चयनित System Integrator (Vendor) पर Request for Proposal के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय निविदा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24,45,97,000.00 (चौबीस करोड़ पैतालीस लाख सनतानवे हजार) रूपये एवं आगामी 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2016–17 की देय राशि सहित मो० 38,21,83,144.00 (अड़तीस करोड़ एक्कीस लाख तेरासी हजार एक सौ चौवालीस) रूपये के व्यय की स्वीकृति। — **27. स्वीकृत।**

## कृषि विभाग

28. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में वेतन मद में 10436.25 लाख रूपये (एक अरब चार करोड़ छत्तीस लाख पच्चीस हजार रूपये), वेतनादि के अलावा स्थापना संबंधी अन्य मद में 1000 लाख रू० (दस करोड़ रूपये) तथा परिसंपत्तियों के निर्माण मद में 330 लाख रू० (तीन करोड़ तीस लाख रूपये) कुल 11766.25 लाख (एक अरब सतरह करोड़ छियासठ लाख पच्चीस हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **28. स्वीकृत।**

## कृषि विभाग

29. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर को गैर योजना मद में वित्तीय वर्ष 2016–17 में वेतनमद में 9134.20124 लाख (एकानवें करोड़ चौंतीस लाख बीस हजार एक सौ चौबीस रू०) वेतनादि के अलावा मद में 770 लाख (सात करोड़ सत्तर लाख) रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 440 लाख (चार करोड़ चालीस लाख) रूपये कुल 10344.20124 लाख (एक अरब तीन करोड़ चौवालीस लाख बीस हजार एक सौ चौबीस रू०) सहायक अनुदान की स्वीकृति। — **29. स्वीकृत।**

## जल संसाधन विभाग

30. जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सोन पश्चिमी संयोजक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य (प्राक्कलित राशि ₹ 25512.24 लाख (दो सौ पचपन करोड़ बारह लाख चौबीस हजार रूपये)) की प्रशासनिक स्वीकृति। — **30. स्वीकृत।**

## जल संसाधन विभाग

31. Extension of left Kamla Balan embankment from km. 102.38 to km 105.35 (Upto Western Kosi embankment) with provision of 3 nos. of Anti Flood Sluices and Protection works of the new embankment. (Estt. Cost-2229.151 Lakh) Agenda No-122/396 की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **31. स्वीकृत।**

## जल संसाधन विभाग

32. बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना में पूर्व से कुल आठ अदद कार्यरत विशेषज्ञों/परामर्शियों की सेवाओं का वित्तीय वर्ष 2016–17 (01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक) की अवधि के लिये पूर्व के सेवा शर्त्तों के अनुसार सेवा विस्तार एवं उनके मानदेय भुगतान हेतु रू० 46,20,000/–(रू० छियालीस लाख बीस हजार) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

32. **स्वीकृत।**